

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

सेवानिवृति आदेश

(नियम-78 के नीचे राजस्थान सरकार का विनिश्चय देखिए)

निम्नांकित कार्मिक जो राज्य सेवा में कार्यरत है को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर लेने पर (सेवानिवृति की तारीख) से, सरकारी सेवा से कॉलम संख्या-5 की दिनांक से सेवानिवृत्त किया जाता है।


| क्र सं | कार्मिक का नाम श्री/सुश्री/श्रीमती | पदस्थापन स्थान (राउमावि/राबाउमावि) | व्याख्याता विषय | जन्मतिथि | अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर सेवा निवृत्ति तिथि |
|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------|--|
| 1 | हरिसिंह | रुण-मुण्डवा-नागौर | इतिहास | 15.01.1958 | 31.01.2018 |

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित के विरुद्ध आज तक-

राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।


(नथमल डिडेल)

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान


बीकानेर

क्रमांक शिविरा-मा/संस्था/सी-2/सेनि/इति-वाणि/31853/2017-18

दिनांक-31/01/2018

प्रतिलिपि:-प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- 1 सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग,
- 2 सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
- 3 सम्बन्धित उप निदेशक-माध्यमिक शिक्षा
- 4 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी-माध्यमिक शिक्षा I/II
- 5 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 6 सम्बन्धित प्रधानाचार्य को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित व्याख्याताओं से कोई न्यायिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है का दस रुपये के स्टाम्प पर निर्धारित प्रपत्र-6 प्राप्त कर अंतिम अदेय प्रमाण पत्र जारी करें।
- 7 सम्बन्धित व्याख्याता
- 8 रक्षित पत्रावली


31/01/18

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर